

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
प्रेस विज्ञप्ति

अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर संविदा के आधार पर  
नियुक्ति

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401, दिनांक-18.07.2007 एवं संकल्प संख्या 12534 दिनांक 17.09.18 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न अभियंत्रण संकाय के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक हैं, से विहित प्रपत्र में **Online** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट:- [www.dst.bih.nic.in](http://www.dst.bih.nic.in) पर **login** किया जा सकता है।

2)सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु आरक्षण कोटिवार अभियंत्रण संकाय में रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है:-

| आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ          |              |               |                 |                     |             |                        |           |                          |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------------|-----------|--------------------------|
| विषय                              | कुल रिक्त पद | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिला | अनारक्षित | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| विद्युत                           | 285          | 45            | 03              | 50                  | 35          | 09                     | 114       | 29                       |
| इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन | 145          | 24            | 02              | 26                  | 18          | 05                     | 55        | 15                       |

सामान्य प्रशासन के परिपत्र संख्या- 2622 दिनांक 26.02.19, परिपत्र संख्या-2342, दिनांक- 15.02.2016 एवं 2526 दिनांक 18.02.16 के निहित प्रावधानों के आलोक में महिलाओं को 35 % क्षैतिज आरक्षण, बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनुमान्य आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.17 के आलोक में 40% एवं उससे अधिक निःशक्त अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

**3) आरक्षण:-** राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

**4) मानदेय:-** विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुरूप रु० 50,000/- प्रतिमाह देय होगा।

**5) शैक्षणिक योग्यता:—**

(i) **इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी**— प्रासंगिक प्रशाखा में बी0ई0/बी0टेक0 और एम0ई0/एम0टेक0 जिसमें बी0ई0/बी0टेक अथवा एम0ई0/एम0टेक0 में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष डिग्री तथा GATE उत्तीर्ण आवश्यक होगा।

**6) उम्र सीमा:—** दिनांक—01.03.2019 तक आवेदक का न्यूनतम उम्र 22 वर्ष होनी चाहिए।

**7) नियोजन अवधि:—** संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) होगी।

**8) चयन प्रक्रिया:—** अभियंत्रण संकायों में ग्रेजुएट एप्टीच्यूड टेस्ट (गेट) स्कोर एवं विज्ञान एवं मानविकी संकायों में यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेट (NET) उत्तीर्ण। दिनांक—01.06.2018 को वैध GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) Score (वर्ष, 2016, 2017 अथवा 2018 का GATE Score) के आधार पर चयन किया जायेगा।

**9) Online आवेदन दिनांक—11.03.2019 से 31.03.2019 के अपराह्न 11:59 बजे तक स्वीकार होंगे। Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाईनल प्रिन्ट निकालकर रख लेंगे एवं भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।**

**10) विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार विभाग के अधीन है। विभाग विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।**

**11) विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट [www.dst.bih.nic.in](http://www.dst.bih.nic.in) देखी जा सकती है। इस वेबसाइट पर Online आवेदन करने का Link उपलब्ध है।**



**सरकार के संयुक्त सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।**